आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

20.04.15

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–426/2013–14

अरविन्द कुमार सिंह

बनाम

आशा देवी वगैरह

आदेश

आवेदक अरविन्द कुमार सिंह, पिता–स्व० रामजी राव, साकिन–बैशखवा, थाना–गोपालपुर द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नरकटियागंज के न्यायालय वाद संख्या–04/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2013 से विक्षुब्ध होकर पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है, जिस पर दिनांक 21.09.2013 को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है।

आवेदक का संक्षेप इतिहास है कि खाता संख्या–140, 164, 162 एवं 163 के भूमि का बँटवारा किया गया है, जिस पर दावा किया गया है। आवेदक का कहना है कि नारायण राय और गया राय खतियानी रैयत थे। नारायण राय के वंश नावल्द मृत हो गये। गया राय के तीन पुत्र देवनन्दन राय, नरसिंह राय एवं परशुराम राय हुए। परशुराम राय नावल्द मृत हो गये। देवनन्द राय के एक पुत्र एवं चार पुत्रियाँ हुई। रामजी राय के पुत्र अरविन्द कुमार सिंह आवेदक है। नरसिंह राय के एक पुत्र रामकृत राव हुए। रामकृत राव के वंशज इस वाद में विपक्षी है। आवेदक का कहना है कि जमाबंदी संख्या–622 और 122 रघुनाथ राय के नाम पर जमाबंदी संख्या–104, 636 एवं 1064 देवनन्द राय के नाम पर कायम थी। उनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, सिकटा द्वारा दाखिल खारिज वाद में प्रावधानों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी, सिकटा को विभाजन का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उनके अनुसार एक खेष्टा

20-4-15

विभाजन दस्तावेज के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिसपर आवेदक के पिता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है और न ही आवेदक को उक्त खेष्ठा बँटवारा की जानकारी रही है।

आवेदक का कहना है कि अंचल अधिकारी द्वारा आवेदक को सुचना नहीं दी गई। उन्हें आवेदक के पिता के नाम से कायम जमाबंदी को समाप्त करने और विपक्षी के नाम नयी जमाबंदी बनाने का अधिकार नहीं है। आवेदक का कहना है कि दिनांक 28.07.2012 को आर०टी०पी०एस० के अर्न्तगत आवेदन दिया गया तथा दिनांक 30.07.2012 को आदेश पारित कर दिया गया। आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 04.10.2008 को हुई। उसके बाद विपक्षी द्वारा जाली एवं फर्जी बँटवारा दिनांक 27.10.2002 को तैयार कर दाखिल खारिज कराया गया है, जो खारिज के योग्य है। आवेदक का कहना है कि दिनांक 27.10.2002 को खान्नगी बँटवारा किया गया है वो सही नहीं है। अतः उनका आग्रह है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नरकटियागंज के न्यायालय वाद संख्या–04/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2013 को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है। उनका कहना है कि पुनरीक्षण आवेदन न तो तथ्यों के आधार पर पोषनीय हैं और न ही कानूनी दृष्टिकोण से पोषनीय है, बल्कि खारिज होने के योग्य है। उनका कहना है कि अंचल अधिकारी, सिकटा द्वारा विधिवत रूप से दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए शुद्धि पत्र जारी किया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि वर्ष 2002 के खेष्टा बँटवारा में रामजी राय द्वारा पंचों एवं तत्कालिन मुखिया के समक्ष हस्ताक्षर किया गया है तथा उनका हस्ताक्षर भी है, जो उक्त बँटवारा को सही वो सम्पुष्ट किया गया है। वर्ष 2002 में खेष्टा बँटवारा के आधार पर आवेदक के पिता रामजी राय ने अपने हिस्से में प्राप्त जमीन के अंश को विपक्षीगण के पिता/पति को निबंधित दस्तावेज के माध्यम से दिनांक 27.06.2005 को विक्रय किया तथा दखल कब्जा दे दिया तथा उस दस्तावेज के चौहद्दी में उत्तर तरफ विपक्षीगण के पिता/पति को बँटवारा के आधार पर हिस्सेदार माना गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि नारायण राय और गया राय खतियानी रैयत थे। नारायण राय के दो पुत्र दामोदर राय और लालबाबू राय। नारायण राय अपने दोनों पुत्र को छोड़कर मर गए। दामोदर राय नावल्द मर गये तथा लालबहादुर राय के एक पुत्र रघुनाथ राय भी नावल्द मर गये। गया राय अपने तीन पुत्र देवनन्दन राय, परशुराम राय एवं नरसिंह राय को छोड़कर मर गये। परशुराम नावल्द मर गये। देवनन्दन राय के पुत्र रामजी राय हुए जो आवेदक के पिता है, नरसिंह राय के पुत्र

20.4.15

रामकृत राव हुए, जिनकी पत्नी और बच्चे विपक्षीगण है। गया राय के वंशज रामजी राय (आवेदक के पिता) तथा रामकृत राव (विपक्षीगण के पति/पिता) के बीच लिखित बँटवारा दिनांक 27.10.2002 को हुआ, जिसमें दोनों पक्षकारों सहित तत्कालिन मुखिया तथा पंचों का हस्ताक्षर है। इसी बँटवारा के आधार पर आवेदक के पिता रामजी राय ने वर्ष 2005 में अपने हिस्सा के अंश को विपक्षीगण के पति/पिता के हाथो बेचा तथा वर्ष 2002 के बँटवारा को सही वो सम्पुष्ट किया।

विपक्षी का कहना है कि विपक्षी के पिता के मृत्यु के पश्चात् उनके वंशजों ने आपस में लिखित बॅटवारा दिनांक–08.07.12 को किया और इसी आधार पर वर्तमान में दाखिल–खारिज वाद के तहत पूर्व से चल रहे जमाबंदियों में से नामान्तरण हुआ है। उनका यह भी कहना है, कि उक्त जमीन का स्वामित्व वो दखल–कब्जा विपक्षीगण का है, तथा अधतन लगान रसीद कटता आ रहा है। उनका यह भी कहना है, कि वर्ष 2002 के बॅटवारा पर कोई तथाकथित आपति है, तो उसका निराकरण राजस्व न्यायालय के माध्यम से नहीं हो सकता है। अतः उनका आग्रह है, कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–22.07.13 तथ्यों तथा कानून पर आधारित है, सही वो दुरूस्त है, और बिल्कुल बहाल रहने योग्य है, इसलिए उक्त पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षीगण द्वारा वर्ष 2014–15 का लगान रसीद की छाया–प्रति दाखिल किया गया है, तथा विपक्षीगण द्वारा आपसी बॅटवारा की छाया–प्रति दाखिल किया गया है, तथा विपक्षीगण द्वारा वर्ष 2005 में आवेदक के पिता रामजी राय द्वारा विपक्षीगण के पिता रामकृत राव को ब्रिकी किये गये दास्तावेज की छाया–प्रति दाखिल किया गया है, जिसमें रामजी राय द्वारा दिनांक–27.06.05 को विपक्षीगण के पिता/पति को लिखा है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है, कि अंचल अधिकारी, सिकटा द्वारा बॅटवारा/आपसी सहमति तथा तत्कालीन मुखिया एवं पचों के हस्ताक्षर एवं सम्पुष्टी के आधार पर सभी प्रकिया को अपनाते हुए दाखिल–खारिज की कार्रवाई की गई है, तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, नरकटियागंज ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है, कि अंचल अधिकारी, सिकटा द्वारा पारित आदेश में कोई प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना गया, एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है, कि विपक्षीगण द्वारा

20.4.25

बँटवारा के आधार पर अपना दावा कायम कर रहें है, आवेदक का कहना है, कि उक्त खेष्टा/बँटवारा पर आवेदक के पिता का हस्ताक्षर जाली–फरैबी है, तो उन्होंने इसी बँटवारे से प्राप्त जमीन में से आवेदक के पिता द्वारा विपक्षीगण के पिता/पति को बर्ष 2005 में जमीन बेचा है। प्रश्न उठता है, कि जब उन्हें इस बँटवारा पर किसी तरह की आपति है, तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए ? चूँकि बँटवारा पर आपसी सहमति तत्कालीन मुखिया एवं पंचों के समक्ष हस्ताक्षर को सम्पुष्ट किया गया है, जिसके आधार पर दाखिल–खारिज किया गया है, अगर बँटवारा पर किसी तरह की आपत्ति है, तो वे सक्षम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, नरकटियागंज के पारित आदेश दिनांक–22.07.13 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए दाखिल–खारिज पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। पक्षकार अगर चाहे तो अपना दावा सक्षम न्यायालय में कर सकते है।

तत्पश्चात् वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

आदेश के प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, नरकटियागंज/ अंचल अधिकारी, सिकटा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

20-4-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

20-4-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।